(c) The issues related to policies concerning transfer and postings of teachers and special dispensation admissions of students in Kendriya Vidyalayas.

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

2503. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में दाखिले के संबंध में क्या नियम हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में दाखिले के नियम:

1. केन्द्रीय विद्यालय :

केन्द्रीय विद्यालय, मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा कार्मिक तथा अर्ध-सैनिक बल भी शामिल हैं, के बच्चों के लिए हैं, तथा दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं:

(क) सिविल/रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय :

(i) रक्षा कार्मिकों,/सी.आर.पी.एफ/बी.एस.एफ./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./एन.एस.जी. कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं तथा भारतीय विदेश सेवाओं के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे, संसद सदस्यों के बच्चे तथा उन पर आश्रित पौत्र, (ग्रान्ड चिल्ड्रन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे और केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों जिनमें ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कार्मिक भी शामिल हैं, के बच्चे।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त-निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) अन्य यायावर जनसंख्या, जिसमें वह भी जनसंख्या शामिल है, जो केन्द्रीय विद्यालयों में अपनायी गई अध्ययन की पद्धति को अपनाने के इच्छुक हैं, के बच्चे।

(ख) परियोजना क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय :

(i) उच्च अध्ययन की संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो विद्यालय भवन तथा उपकरण और कर्मचारियों पर संपूर्ण आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन कर रहे हैं, के कर्मचारियों के बच्चे और सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के बच्चे।

(ii) केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों जिनमें रक्षा/सी.आर.पी.एफ./बी.एस.एफ./बी.आर.टी.एफ./एस.पी.जी./एन.एस.जी. कार्मिक शामिल हैं तथा अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित अन्य स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) रक्षा/सी.आर.पी.एफ./बी. एस. एफ. कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(v) अन्य यायावर जनसंख्या के बच्चे, जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाई गई अध्ययन पद्धति अपनाने की इच्छुक असैनिक जनसंख्या शामिल है।

प्रवेश के समय, अनु.जा. तथा अनु. ज. जा. के बच्चों को क्रमश: 5% तथा $7\frac{1}{2}$% का आरक्षण प्रदान किया जाता है।

2. नवोदय-विद्यालय

नवोदय विद्यालयों में दाखिला एक परीक्षा के आधार पर कक्षा–VI के स्तर पर किया जाता है तथा यह परीक्षा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा सम्बन्धित जिलों में आयोजित की जाती है, जिसमें वे सभी छात्र बैठ सकते हैं, जिन्होंने जिले के किसी भी तहसील/ब्लाक के मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई की हो और कक्षा–V उत्तीर्ण की हो।

अनु.जा./अनु.ज.जा. के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण, सम्बन्धित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, बशर्ते कि किसी भी जिले में यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत अर्थात अनु. जा./अनु.ज.जा. के लिए क्रमश: 15% तथा $7\frac{1}{2}$% से कम नहीं है।

Representation for Promotion as P.G.T.

2504. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some representations were received by the Directorate of Education, Delhi Administration, from the eligible trained Graduate Teachers who were not promoted as P.G.Ts. in different subjects against the departmental quotation November/December, 1991

(b) if so, what are the details of such teachers subject-wise and date(s) on which representations were received from them and what action has been taken by the Directorate on their representations so far;

(c) whether another eligibility List of T.G.T.s. for promotion to the Grade of P.G.Ts. in different subjects has been issued by the Directorate in June, 1992 wherein the left out names of November/December, 1991 do not figure; and

(d) if so, what are the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement (*See below*) is attached.

(c) Yes, Sir.

(d) As per the procedure being followed by the Delhi Admn., biodata of the teachers are called every year for inculsion in the eligibility List. Such teachers who fail to send their biodata within the prescribed period are not included in the eligibility list. Delhi Admn. has intimated that due to these reasons the names of the candidates left out in 1991 do not figure in the latest eligibility list also. The Ministry of Human Resource Development has written to the Delhi Administration to review this procedure to ensure that names of the eligible candidates are not left out at all from the eligibility list.